

11/01/19

यह वाड राज्य सरकार पत्रिने
 तहसीलदार जयवारागडा की
 ओर से निम्नलिखित धारा 88
 रीट: रिट के तहत पेअ
 किणी दादा दग स्थित हो
 तलावी प्रतिवादीगणे की जागी
 होकर दिनांक 23/01/19 के पत्रके

23/01/19

पत्रावली पेअ हुई फीकेक
 पत्रावली हलका की फंड मोक
 रिफरि हल दिनांक 1/01/19 के पत्रके

सपखण्ड अधिकारी
 जयवारागडा (जयपुर)

01/01

1/01/19

पत्रावली पेअ हुई फीकेक
 साकार हुपण पत्रावली हलका
 की फंड मोक रिफरि दिनांक 1/01/19
 प्रस्तुत हुई फीकेक शामिल फंडल हो
 फीकेक साकार के प्रस्तुत वाड
 में किनि किणी कि वत मार
 में तहसील जयवारागडा में
 संगीवेशन का कार्य चल रहा
 है। संगीवेशन के दौरान गाँव
 बाइकुवा तहसील जयवारागडा
 (भायूर) की हाल फीकेक सवत
 2017-74 फीकेक की फंड की
 शर्तों फीकेक फीकेक सरणा- 4
 के प्रमाण 27 फीकेक 25 में फीकेक
 का हिस्सा एक फंड गरी हो एक हिस्सा
 सुरत करत हल फीकेक किणी

सपखण्ड अधिकारी
 जयवारागडा (जयपुर)

पत्रावली का निष्कर्षण
 करत व फंड मोक रिफरि फंड मोक

फर्द अहकाम

राजक बनाम हनुमान १७

नाम न्यायालय

केस संख्या 55/2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>करते पर राज्य सरकार की योजना DILRMP व RSCRT के तहत तहसीलदार पञ्चोरी हनुमान की फर्द प्रोका रिपोर्ट किंगड 1 व 2 के अनुसार हिता सुरक्षा करने के लिये तहसीलदार पञ्चोरी के निवेदन आते थे तदनुसार राजक रिपोर्ट में काल करी रिपोर्ट व फर्द में की प्रति तहसीलदार पञ्चोरी के पास रखे हुए रिपोर्ट प्रोका पत्रिका में फेरल शुभक लेना मन्दर से काल हो चक है वरिष्ठ इतर हो</p> <p>रिपोर्ट (पुनः) राजक</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जयवाराभगद जयपुर

